न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 2020/00085 (84/2020) एल.आर. एक्ट

1. मुखराम पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (मृतक)
1/1 कमला पत्नी स्व. मुखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
1/2 कैलाश पुत्र स्व. मुखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
1/3 सुशील कुमार पुत्र स्व. मुखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
1/4 सलोचना पुत्री स्व. मुखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जयसिह पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रणवीर पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री महावीर शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
उपस्थितः 2. श्री मदन सुरोलिया — अभिभाषक अपीलांट
उपस्थितः 1. श्री दिपेन्द्रसिह शेखावत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं.1 एव 2
उपस्थितः 2. श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं.1 एव 2

निर्णय **दिनांकः 07—04—2021**

1. यह अपील भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 28—11—2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता मुखराम ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ में तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी,जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 20.09.2016 के विरूद्व अपील पेश की। अपील के विचाराधीन रहते मुखराम का देहान्त हो गया। मुखराम के वारिसानो ने उक्त अपील में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28—11—2019 द्वारा प्रार्थना पत्र 102 दिवस पूर्ण होने पर प्रस्तुत

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मानते हुऐ अपील को उपशमित होने से दाखिल दफतर कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व मुखराम के वारिसानो द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। दिनांक 27.01.2021 को उभय पक्ष की बहस सुनकर अपील अन्दर मियाद शुमार की गई है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने कहा कि मुखराम ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी,जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 20.09.2016 के विरूद्व अपील पेश कर पैतृक कृषि भूमि का वसीयत के अनुक्रम में इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है उसको निरस्त करने का निवेदन किया। अपील के विचाराधीन रहते मुखराम का देहान्त हो गया। हमने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 सी. पी.सी के साथ धारा 5 मियाद पेश कर अपीलान्ट मुखराम की जगह प्रार्थीगण को बतौर अपीलान्ट संयोजित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र जानकारी के अभाव में केवल 12 दिन देरी से प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण ने जानबूझ कर देरी नही की, धार्मिक रीति–रिवाज के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हो गई। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि पार्टी बनने के लिये 90 दिवस की अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 102 दिवस होने पर प्रस्तुंत किया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व सहपठित धारा–151 सी.पी.सी. मियाद अवधि में नही होने के कारण अपील अपशमित हो जाती है। अतः अपील उपशमित होने से दाखिल दफतर की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का ऐसा आदेश विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी देरी कन्डोन करने का दिया था परन्तु अदालत मातहत ने उस पर किसी प्रकार का विचार किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अदालत मातहत ने पार्टी बनने का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कठोर रूख अपनाया है जबकि अदालत मातहत को नरम रूख अपनाना चाहिए था। Technical Ground के आधार पर अपील खारिज नही करनी चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे आदेश अदालत मातहत दिनांक 28.11.2019 खारिज फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1992 पृष्ठ 99, RRD 1998 पृष्ठ 319, RRD 2009 पृष्ठ

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

426, RRD 2010 पृष्ठ 50, RRD 2014 पृष्ठ 590, RRD 1996 पृष्ठ 21, RRD 1994 पृष्ठ 545, का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया

5. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस कें दौरान कहा कि मुखराम की मृत्यु दिनांक 30.09.2018 को हुई थी। मुखराम के वारिसानो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.01.2019 को पार्टी बनने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया था। अपील के विचाराधीन रहते पक्षकार की मृत्यु होने पर 90 दिन के अन्दर न्यायालय को सूचना देनी पड़ती है, जबकी अपीलान्ट द्वारा 102 दिन पूर्ण होने पर पार्टी बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। 90 दिन बाद अपील स्वत अबेट हो जाती है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हुई थी, बेटो को सब पता था। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र देना जरूरी होता है लेकिन अपीलान्ट ने शपथ पत्र पेश नही किया। इसके अलावा अपीलान्ट को अपील अबेटमेन्ट होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र अबेटमेन्ट निरस्त हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परन्तु अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अबेटमेन्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर अबेटमेन्ट आदेश की अपील सीधे इस न्यायालय में कर दी जो निरस्त योग्य है। इनका गुणागुण पर भी मामला कमजोर है। हर कोर्ट अपीलान्ट की वसीयत खारिज कर रहे है। अपीलान्ट ने हमेशा न्यायालय को बरगलाया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधी सम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश–43 (ट), Sec.135 लेन्ड रेवन्यू एक्ट 1–2, रेवन्यू कोर्ट मेनुअल पार्ट – II रूल 33, RRD 2013 पृष्ठ 600, RRD 1985 पृष्ठ 763, RRD 1982 पृष्ठ 346, RRD 2003 पृष्ठ 276, RRD 2002 पृष्ठ 671, RRD 2010 पृष्ठ 614, RRD 1982 पृष्ठ 402, RRD 2002 पृष्ठ 280, का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है:–

अपील में मुख्य विवाद स्व.मुखराम के वारिसानो को रिकॉर्ड पर लेने के सबन्ध में है:– अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में दौराने अपील मुखराम की मृत्यु हो गई, स्व.मुखराम के वारिसानो द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र 90 दिन की समय अवधि के बजाय 102 दिन बाद पेश किया। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील में गुणाणगुण पर निर्णय नही करते हुए केवल तकनिकी आधार पर अपील को उपशमित मानते हुए दाखिल दाखिल दफतर कर दी।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 28–11–2019 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि स्व.मुखराम के वारिसानो को मुखराम की जगह रिकॉर्ड पर लेकर दोनो पक्षो को सुनकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 07–04–2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

7/4/2021.

(सुनीता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर